

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ ।

पत्रांक- 738 / 12-11

,लखनऊ:दिनांक:जून ०६, 2019

कार्यालय आदेश

प्रदेश के समस्त वन प्रभागों में ऑन लाईन फौलिंग परमिट एवं ट्रांजिट पास सिस्टम से उत्तर प्रदेश वन उपज अभिवहन नियमावली-1978 के प्राविधानों के अनुरूप ऑन लाईन फौलिंग परमिट एवं अभिवहन परमिट निर्गत किये जाने की प्रक्रिया तात्कालिक प्रभाव से लागू की जाती है। इसमें कोई भी विचलन मान्य नहीं होगा।

(पवन कुमार)

हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स /

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- / (1) समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(पवन कुमार)

हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स /

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- / (2) समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
5. समस्त वन संरक्षक, उ०प्र०।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०।
7. गार्ड बुक।

(पवन कुमार)

हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स /

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।